

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन**  
**जिला चित्तौड़गढ़**  
**पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या/48/2024 वाद

दायर दिनांक 23.05.2024

उनवान

1. रामलाल पिता हिरालाल जाति नाई आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
1. कैलाशी पत्नी चान्दमल जाति नाई आयु बालिग निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. पप्पु पिता नानालाल जाति नाई आयु बालिग निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. रेखा पुत्री नानालाल पत्नी मुरली जाति नाई आयु बालिग निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन हाल मुकाम अरनिया पंथ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. शान्ति पत्नी नानालाल जाति नाई आयु बालिग निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
5. मुकेश पुत्र चान्दमल जाति नाई आयु बालिग निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
6. ललिता पुत्री चान्दमल पत्नी प्रकाश जाति नाई आयु बालिग निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन हाल मुकाम अरनिया पंथ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
7. लोकेश पुत्र चान्दमल जाति नाई आयु बालिग निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
8. भूमिधारी तहसीलदार तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा  
एकतरफा

-वादी  
-प्रतिवादी सं० 1 से 7

-: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :-

निर्णय दिनांक: 07.04.2026

-:निर्णय:-

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की आराजीयात मौजा कोदियाखेड़ी पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन के हल्के बैरुनी में स्थित है जिसके खाता संख्या 85 के हाल आराजी नम्बर 648, 674 कुल किता 02 कुल रकबा 0.21 हैक्ट० दर्ज राजस्व रेकार्ड है। जिसमें मुझ वादी अपने हिस्से पर काबिज होकर अपने हिस्से पर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग कर रहा है। अतः प्रार्थना है कि-



  
सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

- पक्ष वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बंटवाडा आराजीयात की डिक्री इस आशय की फरमाई जावें कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित वादगत आराजीयात का विधिक रूप से खाता संख्या 292 में 75/392 हक हिस्सा वादी के हक हिस्से कब्जे के अनुसार विभाजन करा वादी का खाता संख्या 292 में 75/392 हक हिस्सा तदनुसार लगान जमाबन्दी अलग कायम करा अलग खातेदार काश्तकार बनाया जावें।

- अन्य कोई दाद मुफिद जो न्यायालय उचित समझे वादी को दिलाई जावें व हर्जा खर्चा वकील मेहनताना प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के विरुद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से आज दिनांक 08.01.2025 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 08.01.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 07.11.2025 से प्रस्तुत की गई। जो शा0फा0 की गयी। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादी द्वारा आदेशिका पर तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर हस्ताक्षर किये गये। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 17.03.2026 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा कोदियाखेड़ी पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन के हल्के बैरुनी में स्थित है जिसके खाता संख्या 85 के हाल आराजी नम्बर 648, 674 कुल किता 02 कुल रकबा 0.21 हैक्ट0 स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 07.11.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है-

1. रामलाल पिता हिरालाल जाति नाई हिस्सा पूर्ण सा0 कोदियाखेड़ी

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	674 / 2	0.1040	बारानी 3
योग	कुल किता-01	0.1040	

2. रामलाल पुत्र हिरालाल नाई 1/2 कैलाशी बाई पत्नी चांदमल मुकेश लोकेश ललिता पिता चांदमल नाई 1/4 शान्ति पत्नी नानालाल पप्पु रेखा पिता नानालाल 1/4 नाई सा. देह खातेदार रहन हि. शान्ति पप्पु रेखा का PNB सिंहपुर

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	648 / 1	0.0140	बारानी 3
2	674 / 1	0.0160	बारानी 3
योग	कुल किता-02	0.03	

3. कैलाशी बाई पत्नी चांदमल मुकेश लोकेश ललिता पिता चांदमल नाई 1/2 शान्ति पत्नी नानालाल पप्पु रेखा पिता नानालाल 1/2 नाई सा. देह खातेदार रहन हि. शान्ति पप्पु रेखा का PNB सिंहपुर

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	648 / 2	0.0760	बारानी 3
योग	कुल किता-01	0.0760	



तदनुसार अंकन हो। रहन बढस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 07.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश कुमार)  
सहायक क्लर्क  
सहायक क्लर्क  
उपखण्ड अधिकारी काठमांडू

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर कपासन**

पीठासीन अधिकारी :- राजेश सुवालका (R.A.S.)

उनयान

बनाम

1. रामलाल पिता हिरालाल जाति नाई आयु वयस्क निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
1. कैलाशी पत्नी चान्दमल जाति नाई आयु बालिग निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. पप्पु पिता नानालाल जाति नाई आयु बालिग निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. रेखा पुत्री नानालाल पत्नी मुरली जाति नाई आयु बालिग निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन हाल मुकाम अरनिया पंथ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. शान्ति पत्नी नानालाल जाति नाई आयु बालिग निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
5. मुकेश पुत्र चान्दमल जाति नाई आयु बालिग निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
6. ललिता पुत्री चान्दमल पत्नी प्रकाश जाति नाई आयु बालिग निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन हाल मुकाम अरनिया पंथ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
7. लोकेश पुत्र चान्दमल जाति नाई आयु बालिग निवासी कोदियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
8. भूमिधारी तहसीलदार तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।



दावा बाबत 53 आर.टी. एक्ट  
मुकदमा नम्बर :- 48/2024  
निर्णय दिनांक :- 07.04.2026

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा व प्रतिवादीगण की ओर से एकतरफा में आज तारिख 07.04.2026 को राजेश सुवालका (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, कपासन के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि- मौजा कोदियाखेड़ी पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन के हल्के बैरुनी में स्थित है जिसके खाता संख्या 85 के हाल आराजी नम्बर 648, 674 कुल किता 02 कुल रकबा 0.21 हैक्ट0 स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 07.11.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है-

सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

1. रामलाल पिता हिरालाल जाति नाई हिस्सा पूर्ण सा0 कोदियाखेड़ी

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	674 / 2	0.1040	बारानी 3
योग	कुल किता-01	0.1040	

2. रामलाल पुत्र हिरालाल नाई 1/2 कैलाशी बाई पत्नी चांदमल मुकेश लोकेश ललिता पिता चांदमल नाई 1/4 शान्ति पत्नी नानालाल पप्पु रेखा पिता नानालाल 1/4 नाई सा. देह खातेदार रहन हि. शान्ति पप्पु रेखा का PNB सिंहपुर

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	648 / 1	0.0140	बारानी 3
2	674 / 1	0.0160	बारानी 3
योग	कुल किता-02	0.03	

3. कैलाशी बाई पत्नी चांदमल मुकेश लोकेश ललिता पिता चांदमल नाई 1/2 शान्ति पत्नी नानालाल पप्पु रेखा पिता नानालाल 1/2 नाई सा. देह खातेदार रहन हि. शान्ति पप्पु रेखा का PNB सिंहपुर

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	648 / 2	0.0760	बारानी 3
योग	कुल किता-01	0.0760	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 07.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



( राजेश सुबालका )  
 सहायक क्लर्क  
 उपखण्ड अधीक्षकीरीसंव  
 पदेन सहायक क्लर्क कषासन

### वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	-
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	-	अर्जी के लिए स्टाम्प	-
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	-	प्लीडर की फीस	-
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस	-	साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	-
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	-	आदेशिका की तामिल	-
6. कमिश्नर की फीस	-	कमिश्नर की फीस	-
7. आदेशिका की तामिल	-		-
	जोड		जोड